

भारी उद्योग मंत्रालय

मांग संख्या 48

भारी उद्योग मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	2668.58	43.96	2712.54	6145.32	26.31	6171.63	6389.32	2.19	6391.51	7240.20	1.80	7242.00
वसूलियां	-6.27	...	-6.27
प्राप्तियां
निवल	2662.31	43.96	2706.27	6145.32	26.31	6171.63	6389.32	2.19	6391.51	7240.20	1.80	7242.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	32.54	...	32.54	37.02	2.00	39.02	35.73	2.00	37.73	32.44	1.60	34.04
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास												
2. भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण हेतु योजना-(फेम इंडिया)	2402.51	...	2402.51	5171.97	...	5171.97	4807.40	...	4807.40	2671.33	...	2671.33
3. आटोमोबाइल और एलाइड उद्योग विकास परिषद	2.09	...	2.09
4. ऑटोमोबाइल और ऑटो कम्पोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना	5.69	...	5.69	604.00	...	604.00	483.77	...	483.77	3500.00	...	3500.00
5. राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना	1.65	...	1.65	1.00	...	1.00	12.01	...	12.01	250.00	...	250.00
जोड़-ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास	2411.94	...	2411.94	5776.97	...	5776.97	5303.18	...	5303.18	6421.33	...	6421.33
6. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम-2024	500.00	...	500.00
पूंजीगत वस्तु क्षेत्रों का विकास												
7. भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की वृद्धि	199.25	...	199.25	250.00	...	250.00	187.20	...	187.20	250.00	...	250.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	2611.19	...	2611.19	6026.97	...	6026.97	5490.38	...	5490.38	7171.33	...	7171.33
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
8. केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएमटीआई)	24.00	...	24.00	24.00	...	24.00	20.78	...	20.78	21.40	...	21.40
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
9. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सहायता	0.85	43.96	44.81	57.33	24.31	81.64	842.43	0.19	842.62	2.03	0.20	2.23

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
अन्य												
10. भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के प्रोत्त उत्पादन की योजना (एसएमईएस)	13.00	...	13.00
11. वास्तविक वसूली	-6.27	...	-6.27
जोड़-अन्य	-6.27	...	-6.27	13.00	...	13.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	18.58	43.96	62.54	81.33	24.31	105.64	863.21	0.19	863.40	36.43	0.20	36.63
कुल जोड़	2662.31	43.96	2706.27	6145.32	26.31	6171.63	6389.32	2.19	6391.51	7240.20	1.80	7242.00
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. उद्योग	2629.81	...	2629.81	6108.30	...	6108.30	6353.59	...	6353.59	7207.76	...	7207.76
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	32.50	...	32.50	37.02	...	37.02	35.73	...	35.73	32.44	...	32.44
3. अभियांत्रिकी उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05
4. उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02
5. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	1.60	1.60
6. सीमेंट और अधात्विक खनिज उद्योगों के लिए ऋण	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
7. अभियांत्रिक उद्योगों के लिए ऋण	24.19	24.19	...	0.07	0.07	...	0.08	0.08
8. उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	...	43.96	43.96	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04
जोड़-आर्थिक सेवाएं	2662.31	43.96	2706.27	6145.32	26.31	6171.63	6389.32	2.19	6391.51	7240.20	1.80	7242.00
कुल जोड़	2662.31	43.96	2706.27	6145.32	26.31	6171.63	6389.32	2.19	6391.51	7240.20	1.80	7242.00

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. भारत हेवी एलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	...	262.00	262.00	...	200.00	200.00	...	223.00	223.00	...	227.00	227.00
2. हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	0.01	...	0.01	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
3. स्कूटर इंडिया लिमिटेड	0.01	...	0.01	0.08	...	0.08	0.09	...	0.09
4. एनएमटी लिमिटेड	...	8.49	8.49	0.01	22.28	22.29	0.02	8.70	8.72	0.02	6.65	6.67
5. हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	0.01	...	0.01	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
6. एण्ड्रयू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड	...	42.70	42.70	...	37.00	37.00	...	36.80	36.80	...	38.00	38.00
7. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड	...	1.67	1.67	...	1.00	1.00	...	0.80	0.80	...	1.20	1.20

										(₹ करोड़)		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
8. राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड	...	0.09	0.09
9. त्रिज एंड रूफ कंपनी लिमिटेड	...	5.73	5.73	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00
10. रिचर्डसन एंड कूडास लिमिटेड	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
11. ब्रेथवेट बर्न जेसोप कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	...	3.52	3.52	...	1.00	1.00	...	5.00	5.00	...	1.00	1.00
12. नेपा लिमिटेड	0.01	...	0.01	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
13. हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
14. सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया	...	5.93	5.93	...	17.51	17.51	0.01	32.34	32.35	0.01	27.55	27.56
15. हिंदुस्तान फोटो फिल्म	43.96	...	43.96
जोड़	43.96	330.13	374.09	0.07	281.79	281.86	0.19	309.64	309.83	0.20	304.40	304.60

1. **सचिवालय:** इसमें भारी उद्योग मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान है।

2. **भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण हेतु योजना-(फेम इंडिया):** इस योजना के माध्यम से, विभाग ने देश की जैविक ईंधन पर निर्भरता कम करने के साथ लोगों को स्वच्छ परिवहन समाधान उपलब्ध कराने के लिए नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (एनईएमएमपी) स्कीम 2020 के तहत देश में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड परिवहन को बढ़ाना देने की एक पहल की है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान किया गया है।

4. **ऑटोमोबाइल और ऑटो कम्पोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना:** उन्नत ऑटोमोटिव उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स उद्योग के लिए प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना। ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों के लिए पीएलआई योजना उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य शृंखला में निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देती है। इसके प्रमुख उद्देश्यों में लागत की अक्षमताओं पर काबू पाना, पैमाने की अर्थव्यवस्था बनाना और उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के क्षेत्रों में एक मजबूत आपूर्ति शृंखला का निर्माण करना शामिल है। इससे रोजगार भी सृजित होगा। यह योजना ऑटोमोबाइल उद्योग को मूल्य शृंखला को उच्च मूल्य वर्धित उत्पादों में अंतरित करने की सुविधा प्रदान करेगी। यह योजना आयात निर्भरता को कम करेगी और आत्मनिर्भर भारत पहल का समर्थन करेगी।

5. **राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना:** एसीसी बैटरी के लिए पीएलआई योजना देश में प्रतिस्पर्धी एसीसी बैटरी सेट-अप स्थापित करने के लिए बड़े घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना करती है। एसीसी उन्नत भंडारण प्रौद्योगिकियों की नई पीढ़ी है जो विद्युत ऊर्जा को या तो विद्युत रासायनिक या रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहीत कर सकती है और आवश्यकता पड़ने पर इसे वापस विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर

सकती है। इस योजना के माध्यम से, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन, उन्नत बिजली ग्रिड, सोलर रूफटॉप आदि जैसे प्रमुख बैटरी खपत वाले क्षेत्रों में आने वाले वर्षों में मजबूत वृद्धि हासिल करने की संभावना है। यह योजना आयात निर्भरता को कम करेगी और आत्मनिर्भर भारत पहल में सहायता करेगी।

6. **इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम-2024:** इलेक्ट्रिक मोबिलिटी संवर्धन योजना (इएमपीएस), 2024 का लक्ष्य वाणिज्यिक और विशिष्ट निजी उपयोग वाहनों पर ध्यान देकर, भारत में दो पहिया (इ-2डब्ल्यू) और तिपहिया (इ-3डब्ल्यू) इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग की गति को बढ़ाना है। इएमपीएस, 2024 का लक्ष्य इ-2डब्ल्यू (3,33,387) और इ-3डब्ल्यू (13,590 रिक्शा और इ-कार्ट एल-5 श्रेणी में 25,238 इ-3डब्ल्यू सहित 38,828) सहित 3,72,215 इवी का समर्थन करना है। योजना उन्नत बैट्री-फिट्टेड इवी के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। 1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2024 तक प्रभावी 4 माह की अवधि के लिए योजना का परिव्यय 500 करोड़ रुपए है। इएमपीएस, 2024 देश में हरित कार्य-रिती और इलेक्ट्रिक वाहनों (इवी) के विनिर्माण परिस्थितीकी तंत्र के विकास में सहायता प्रदान करेगा। आत्मनिर्भर भारत पहल के साथ संरेखित होकर चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम अपनाया गया है जिससे इवी के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा और आपूर्ति शृंखला सद्बृह होगी। इससे इवी क्षेत्र में महत्वपूर्ण रोजगार भी सृजित होगा। इस प्रावधान में भारत की आकस्मिकता निधी से अग्रिम के रूप में संस्विकृत 500.00 करोड़ रुपये की राशि शामिल है जिसकी संसद द्वारा अनुदान की मांगों 2024-25 के पारित होने और भारत के राष्ट्रपति द्वारा विनियोजन अधिनियम के अनुमोदन प्राप्त होने के बाद भारत की आकस्मिकता निधी में प्रतिपूर्ति की जाएगी।

7. **भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की वृद्धि:** इस योजना का उद्देश्य देश में औद्योगिक आधार को विकसित करने के लिए विभाग की बड़ी स्थायी प्रतिबद्धता के भाग के रूप में भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता की वृद्धि करना है। इस योजना के तहत, उद्योगों को कौशल और प्रौद्योगिकी सहयोग प्रदान करने के लिए आधुनिक साझा सुविधा केन्द्रों और सेक्टर विशिष्ट औद्योगिक क्लस्टर पार्कों की स्थापना की जाएगी।

8. **केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएमटीआई):** सीएमटीआई एक अनुसंधान एवं विकास संगठन है जो व्यवहारिक प्रयोजनों तथा देश में प्रौद्योगिकी की वृद्धि में मदद करने के लिए अपने प्रयास मुख्य रूप से विनिर्माण प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जान अर्जित करने पर केन्द्रित करता है। संस्थान के कर्मचारियों के वेतन के आंशिक भुगतान के लिए प्रावधान रखा गया है।

9. **केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सहायता:** निम्नलिखित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को वजटीय सहायता में शामिल हैं: (i) हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल) में अनुदान और निवेश और (ii) बीपीसीएल को अनुदान: (i) एचएसएल के पूर्व कर्मचारियों की पेंशन देनदारियों को पूरा करने के लिए और इसके नमक उत्पादन को बढ़ाने और मशीनरी, अवसंरचना आदि के आधुनिकीकरण के लिए प्रावधान रखा गया है और (ii) बंद करने से संबंधित व्यय के लिए, जिसमें बीपीसीएल कर्मचारियों के लिए वीआरएस/वीएसएस के कार्यान्वयन, उनके बकाया वेतन और वैधानिक देय राशि का भुगतान, आपूर्तिकर्ता ठेकेदारों / उपयोगिताओं के बकाये का भुगतान शामिल है।

10. **भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के प्रोत्त उत्पादन की योजना (एसएमईएस):** भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण का संवर्धन(एसएमईसी) करने हेतु यह योजना वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन (इवी) विनिर्माणकर्ताओं से निवेश प्राप्त करने में सहायता करेगी और भारत को इ-वाहनों के विनिर्माण के गंतव्य स्थान के रूप में भारत को बढ़ावा देगी और इवी के विनिर्माण हेतु भारत को वैश्विक स्तर की प्रसिद्धि देगी, रोजगार सृजित करेगी और मेक इन इंडिया के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेगी। इस योजना में, अनुमोदित आवेदनकर्ता भारत में 4150 करोड़ रुपए (500 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के न्यूनतम निवेश के साथ इवी यात्री कारों (इ-4डब्ल्यू) के विनिर्माण हेतु विनिर्माण सुविधाओं को स्थापित करेंगे। विनिर्माणकर्ता एमएचआइ के अनुमोदन पत्र के जारी होने की तिथि के 03 वर्ष की अवधि में 25% और 5 वर्ष की अवधि में 50 % न्यूनतम घरेलू मूल्य परिवर्धन (डीवीए) प्राप्त करेंगे।